786 और 92 की हक़ीक़त

अ़ब्दे मुस्तफ़ा

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

786 और 92 की हकीकत

अब्दे मुस्तफ़ा

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

तफ़सीलात

नाम

786 और 92 की हक़ीक़त

अज़ क़लम

अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी

सना इशाअ़त

शाबान 1444 हिजरी
मार्च 2023 ईसवी

कुल सफ़हात

54

हमारे डिज़ाइनिंग पार्टनर

PS graphics PURE SUNNI GRAPHICS

नाशिर

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

AMO

POWERED BY ABDE MUSTAFA OFFICIAL

info@abdemustafa.com

© 2023 All Rights Reserved.

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

फ़ेहरिस्त

नाशिर की तरफ से कुछ अहम बातें 4

मुकद्दमा 6

786/92 लिखने की वजह क्या है? 8

पहला ह़वाला 8

वक़ारुल फतावा 8

आ'दाद लिखने का हुक्म 8

दूसरा सुवाल : आ'दाद को बेवुज़ू लिखना कैसा? 9

तीसरा सुवाल : नापाकी की हालत में लिखना कैसा? 9

चौथा सुवाल : दुरूद के आ'दाद लिखना 9

दूसरा हवाला 10

फतावा फकीहे मिल्लत 10

तीसरा हवाला 11

फतावा बहरुल उलूम 11

तख़्सीस 14

अ़ददी रस्मुल खत 18

चौथा हवाला 19

तफहीमुल मसाइल 19

एक शिद्दत पसंद मुफ्ती का जवाब: 19

प्रोफ़ेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जवाब : 20

पांचवां हवाला.....26
फतावा फ़क़ीहे मिल्लत.....26
हरे कृष्णा के आदाद.....26
छटा हवाला.....30
फ़तावा बहरुल उलूम.....30
तावीज़ात में आदाद.....30
सातवाँ हवाला.....31
फ़तावा यूरोप व बर्तानिया.....31
अबजद नक़्शा.....31
आठवां हवाला.....32
फ़तावा बहरुल उलूम.....32
नवां हवाला.....37
फ़तावा मर्कज़ तर्बीयत इफ़्ता.....37
हरे कृष्णा का अदद.....37
अल-जवाब:.....37
दसवाँ हवाला.....39
फ़तावा बहरुल उलूम.....39
ग्यारहवां हवाला.....40
तनवीरुल फ़तावा.....40
बारहवाँ हवाला.....41
एक देवबंदी मुफ़्ती का फ़तवा.....41
तेरहवां हवाला.....42

देवबंदी मुफ़्ती का दूसरा फ़तवा 42
देवबंदी मुफ़्ती का त्आकुब 43
चौधवां हवाला 44
दारुल इफ़ता देवबंद का फ़तवा 44
ख़ुलासा 44
हमारी किताबें हिंदी में 46

नाशिर की तरफ से कुछ अहम बातें

मुख़्तलफ़ ममालिक से कई लिखने वाले हमें अपना सरमाया इरसाल फ़रमा रहे हैं जिन्हें हम शाया (Publish) कर रहे हैं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि हमारी शाया करदा किताबों की मुंदरिजात (Contents) की ज़िम्मेदारी हम इस ह़द तक लेते हैं कि ये सब अहले सुन्नत व जमाअ़त से है और ये ज़ाहिर भी है कि हर लिखारी का ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है, दूसरी जानिब अकाबिरीने अहले सुन्नत की जो किताबें शाया की जा रही हैं तो उन के मुताल्लिक़ कुछ कहने की हाजत ही नहीं। फिर बात आती है लफ्ज़ी और इमलाई ग़लतियों की, तो जो किताबें "टीम अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल" की पेशकश होती हैं उनके लिये हम ज़िम्मेदार हैं और वो किताबें जो मुख़्तलफ़ ज़राए से हमें मौसूल होती हैं, उन में इस तरह की ग़लतियों के हवाले से हम बरी हैं कि वहाँ हम हर हर लफ्ज़ की छान फटक नहीं करते और हमारा किरदार बस एक नाशिर का होता है।

ये भी मुम्किन है कि कई किताबों में ऐसी बातें भी हों जिन से हम इत्तिफ़ाक़ नहीं रखते, मिसाल के तौर पर किसी किताब में कोई ऐसी रिवायत भी हो सकती है कि तहक़ीक़ से जिसका झूटा होना अब साबित हो चुका है लेकिन उसे लिखने वाले ने अदमे तवज्जो की बिना पर नक़्ल कर दिया या किसी और वजह से वो किताब में आ गई जैसा कि अहले इल्म पर मख़फी नहीं कि कई वुजूहात की बिना पर ऐसा होता है, तो जैसा हमने अर्ज़ किया कि अगर्चे उसे हम शाया करते हैं लेकिन इससे ये ना समझा जाए कि हम उससे इत्तिफ़ाक़ भी करते हैं।

एक मिसाल और हम अहले सुन्नत के माबैन इख़्तिलाफ़ी मसाइल की पेश करना चाहते हैं कि कई मसाइल ऐसे हैं जिन में उलमा -ए- अहले सुन्नत का इख़्तिलाफ़ है और किसी एक अमल को कोई ह़राम कहता है

तो दूसरा उसके जवाज़ का क़ाइल है, ऐसे में जब हम एक नाशिर का किरदार अदा कर रहे हैं तो दोनों की किताबों को शाया करना हमारा काम है लेकिन हमारा मौकिफ़ क्या है, ये एक अलग बात है, हम फरीक़ैन की किताबों को इस बुनियाद पर शाया कर सकते हैं कि दोनो अहले सुन्नत से हैं और ये इख़्तिलाफ़ात फुरूई हैं।

इसी तरह हमने लफ़्ज़ी और इमलाई गलतियों का ज़िक्र किया था जिस में थोड़ी तफ़्सील ये भी मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि कई अल्फाज़ ऐसे हैं के जिन के तलफ़्फ़ुज़ और इमला में इख़्तिलाफ़ पाया जाता है, अब यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत बनेगी कि हम अगर्चे किसी एक तरीक़े की सिह़्हत के क़ाइल हों लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी हमारी इशाअत में मौजूद होगा, इस फ़र्क़ को बयान करना ज़रूरी था ताकि क़ारईन में से किसी को शुब्हा न रहे।

टीम अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल की इ़ल्मी, तहक़ीक़ी और इस्लाह़ी किताबें और रिसाले कई मराह़िल से गुजरने के बाद शाया होते हैं लेकिन इसके बावजूद इन में भी ऐसी ग़लतियों का पाया जाना मुम्किन है लिहाज़ा अगर आप उन्हें पाएँ तो हमें ज़रूर बताएँ ताकि उसकी तस्हीह़ की जा सके।

साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन
SABIYA VIRTUAL PUBLICATION
POWERED BY ABDE MUSTAFA OFFICIAL

सलासिल में बंटे हुए सुन्नी कब एक होंगे?

मुकद्दमा

इस मौज़ूअ पर लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले यह बयान कर देते हैं। हम सब देखते हैं की मुख़्तलिफ क़िस्म के ख़ुतूत पर ऊपर 786 और 92 लिखा होता है जिस से "बिस्मिल्लाह शरीफ" और नामे "मुहम्मद" صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ मुराद लिया जाता है। यह तरीका बिल्कुल दुरुस्त है और बुजुर्गों से साबित भी है लेकिन एक फिरक़ा जिसे हम "वहाबी" के नाम से जानते पहचानते हैं और यह भी जानते हैं की किसी भी काम को शिर्क बिदअ़त कहने में इन्हे ज़रा भी देर नहीं लगती। यह लोग इस तरह 786 और 92 लिखने को ग़लत करार देते हैं और दलील ये पेश करते हैं के चूंकि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ और सहाबा के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ लिहाज़ा इस तरह करना ग़लत है। वहाबियों ने येह तक ए'तराज किया है के 786 जो अदद है वो "बिस्मिल्लाह शरीफ" का नहीं बल्के "हरे कृष्णा" का है। हम इस पर तफ्सील से लिखेंगे ताकि यह मसअला बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। गैरों की तरफ से किए गए ऐसे ए'तराजात की वजह से अवामे अहले सुन्नत परेशानी में मुब्तला होती है। ज़रूरी था कि इस पर मुस्तक़िल रिसाला तैयार किया जाए। अल्लाह तआला की तौफीक़ से हमें यह मौक़ा इनायत हुआ। हमने कोशिश की है के इसे मुख्तसर और जामेअ बनाया जाए क्योंकी कलाम का ज़्यादा तवील होना एक ऐब है। हम यह भी तस्लीम करते हैं के अगर्चे हमने अपनी तरफ से कोशिशें की लेकिन बहुत कमियां इसमें मौजूद होंगी जो के यक़ीनन हमारी कम इल्मी और कोताही का सुबूत है। आप जब उन्हें पाएं तो हमारी माज़रत को याद

फरमाएं। मुमकिन हो तो हमें इत्तिलाअ भी फरमाएं ताकि हम आइंदा से उसका ख्याल रखें। अभी यह रिसाला पेश किया जाता है, उम्मीद करते हैं कि यह अवामे अहले सुन्नत के लिए मुफीद साबित होगा। अल्लाह तआला इसे कबूल फरमाए। आमीन

अ़ब्दे मुस्तफ़ा
मुहम्मद साबिर क़ादरी
17 नवंबर 2022 ईसवी
(शादी की पहली सालगिरह)

786/92 लिखने की वजह क्या है?

अगर पूरी "बिस्मिल्लाह शरीफ" या नामे "मुहम्मद" صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ को लिख दिया जाए तो इम्कान ज़्यादा है कि इसकी बेअदबी होगी क्योंकि खुतूत वगैरा को हर कोई संभाल कर नहीं रखता। शादियों के कार्ड हों या दूसरे दावती पैगामात, मकसद पूरा होने के बाद उन्हें कूड़े की नज़्र कर दिया जाता है। अब ऐसे खुतूत वगैरा पर ऐसे मुक़द्दस और मुतबर्रुक कलिमात को लिखना किसी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता और यही वजह है कि उसकी जगह "अब्जद" के हिसाब से उस कलिमे या कई कलिमात के आ'दाद को लिख दिया जाता है। इस से होता यह है कि बेअदबी का जो इम्कान है वह जाता रहता है और दूसरा यह कि कलिमात की बरकत भी हासिल हो जाती है। और यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे हमने घड़ा हो बल्कि इसका सुबूत मौजूद है। इसकी असल का ज़िक्र मिलता है जिसे हम तफ्सील से बयान करेंगे।

ان شاء الله

पहला ह़वाला

वक़ारुल फतावा

आ'दाद लिखने का हुक्म

सुवाल :

वक़ारे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती वकारुद्दीन कादरी रह़ीमहुल्लाह से सुवाल किया गया :

क्या फरमाते हैं उल्माए दीन व मुफ्तीयाने शरअ मतीन इस मसअले के

बारे में कि बिस्मिल्लाह शरीफ के आ'दाद उमूमन लोग ख़ुतूत और दूसरी कुतुब वगैरा में बरकत हासिल करने के लिए लिखते हैं, बिस्मिल्लाह के 786, इसी तरह इस्मे मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के 92 अदद लिखते हैं) बराहे करम आप हमें यह बतलाइये कि इस्मे शरीफ वगैरा के अदद लिखने जाइज़ है या नहीं?

दूसरा सुवाल : आ'दाद को बेवुज़ू लिखना कैसा?

दूसरा सुवाल यह किया गया कि अगर कुरआनी आयात के आ'दाद लिखने हो तो बेवुज़ू अदद लिख सकते हैं या नहीं ?

तीसरा सुवाल : नापाकी की हालत में लिखना कैसा?

तीसरा सुवाल यह किया गया कि बिस्मिल्लाह (हर्फ ब हर्फ) नापाकी की हालत में लिखना कैसा है?

चौथा सुवाल : दुरूद के आ'दाद लिखना

चौथा सुवाल यह किया गया कि बवक़्ते जरूरत इस्मे मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के 92 अदद लिखे जाएं तो " صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ " के अदद भी लिखने ज़रूरी है या नहीं ?

अल् जवाब :

अहादीस में फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह और अल्हमदूलिल्लाह से शुरूअ ना किया जाए, वह ना मुकम्मल रहता है और खैरो बरकत से खाली होता है। इस हदीस पर अमल करने के लिए हर जाइज़ काम को "बिस्मिल्लाह" और "अल्हमदूलिल्लाह" पढ़कर शुरूअ करना चाहिए, इनका लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिखना भी बाइसे बरकत है। चूंके आम तौर पर कागज़ात को एहतियात से नहीं रखा जाता तो उस पर बिस्मिल्लाह (तहरीर) होने की सूरत में उसकी बेअदबी है। इसलिए लोगों ने आ'दाद लिखना शुरूअ कर दिए लेकिन अदद का वो हुक्म नहीं जो हुरूफ का है लिहाजा आ'दाद को बेवुज़ू लिखना और छूना

जाइज है। "बिस्मिल्लाह‘" कुरआन की आयत है, लिहाज़ा इसे बेवुज़ू लिखना और छूना जाइज नहीं है।

(वकारुल फतावा अल्लामा मुफ्ती वकारुद्दीन रहीमहुल्लाह जि. 3, स. 442 और 443, नाशिर : बज़्मे वकारुद्दीन, 1421 हि. 2000 ई.)

दूसरा हवाला
फतावा फकीहे मिल्लत

फतावा फकीहे मिल्लत मैं एक सवाल कुछ यूं है :

हमारे यहां या'नी मसलके आ'ला हजरत के पैरुकार जब कुछ लिखते हैं तो पहले 786 फिर 92 या 917 लिखते हैं जबकि 786 "बिस्मिल्लाह" का अदद है और 92 "मुहम्मद" का 917 मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ का तो क्या "बिस्मिल्लाह" के बाद यह लिखना ज़रूरी है अगर ज़रूरी है तो फिर तिलावते कुरआन पाक से कब्ल तस्मिया के साथ दुरुद पढ़ना लाजिम होगा और नमाज में ताअउज़ व तस्मिया के बा'द ही मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ कहना जरूरी होगा ? लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश है कि इसकी इब्तिदा कब से है? और लिखना कैसा है? मअ़ हवाला कुतुब जवाब से मुत्तलाअ फरमा कर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं।

अल जवाब :

(2) अस्लाफे किराम और बुजुर्गाने दीन का यह तरीका रहा है कि वोह जब भी कुछ लिखते या किताब वगैरह तस्नीफ करते तो तबर्रुकन इसे अल्लाह और रसूल के नाम से शुरुअ करते। अल्लाह तआला की हम्द बयान करते और हुजूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ पर दुरूदो सलाम भेजते मगर बाद में बेअदबी से बचाने के लिए जिस तरीके से खत वगैरा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह के बजाए उनके आ'दाद 786 के लिखने का रिवाज तबर्रुकन हुआ इसी तरह 92 और 917 के लिखने की भी इब्तिदा हुई। फिर

जिस जगह बेअदबी का अंदेशा नहीं वहां भी लोग लिखने लगे। और जो चीज तबर्रुकन लिखी जाती है वह जरूरी नहीं होती। लिहाजा बिस्मिल्लाह का अदद 786 लिखने के बा'द 92 या 917 लिखना जरूरी नहीं सिर्फ जाइज़ व मुस्तहसन है। इसी तरह तिलावते कुरआन के वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतर है लाज़िम नहीं। और जब तस्मिया के अदद 786 के बाद 92 या 917 लिखना ज़रूरी नहीं तो उससे नमाज़ के अंदर ताअउज़ व तस्मिया के बाद मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ कहने का इस्तिदलाल गलत है। और इसकी इब्तिदा कब से हुई यह गैर ज़रूरी सुवाल है। और हदीस शरीफ में है

"من حسن اسلام المرأ ان يترك ما لا يعينه" اھ. والله تعالى اعلم "

अल जवाबुस सहीह : जलालुद्दीन अहमद अमजदी

कतबहू : मुहम्मद अबरार अहमद अमजदी बरकाती

(देखें : फतावा फकीहे मिल्लत मा'रुफ बिह फतावा मरकजी तर्बीयते इफ्ता, जि. 1, स. 328 और 329 बाब सदकतुल फित्र, तबअ शब्बीर बरादर लाहौर, स. 2005 ई.)

तीसरा हवाला

फतावा बहरुल उलूम

फतावा बहरुल उलूम में एक सुवाल कुछ यूं है :

क्या फरमाते हैं उल्माए दीन व मुफ्तियाने शरअ़ मतीन मसअला ज़ैल के बारे में कि ज़ैद और बकर में गुफ्तगू हो रही थी, ज़ैद ने कहा कि 786/92 लिखना दुरुस्त है बकर ने कहा कि गलत है। कुरआन व हदीस मैं कहीं लिखा हुआ नहीं है अगर कहीं से साबित हो तो पेश करो। लिहाज़ा हजरत से गुजारिश है कि ज़ैद और बकर में से किस का कौल सहीह है मअ हवाला कुतुब जवाब इरशाद फरमाए। ऐन नवाज़िश होगी।

अल् जवाब :

सुवाल में चंद बातें क़ाबिले गौर हैं :

1. अल्लाह पाक और उसके हबीब صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के इस्माए मुबारका से तबर्रुक जाइज़ है या नहीं?

2. अगर जाइज़ है तो क्या अरबी रसमुल् खत के साथ ही ख़ास है या दूसरे रसमुल् खत में भी इसे तहरीर किया जा सकता है।

3. जिस तरह किसी अम्र के जवाज़ के पहलू के लिए दलील की जरूरत होती है उसी तरह उस की मुमानअत के लिए भी दलीले शरअई दरकार है बल्के मुमानअत की दलील का मंसूस होना ज़रूरी है क्योंकि शरअ से किसी अम्र का मम्नूअ ना होना ही दलीले जवाज़ है। कुरआन ए अजीम में है :

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

और ना कहो उसे जो तुम्हारी ज़ुबाने झूठ बयान करती हैं यह हलाल है और यह हराम की अल्लाह तआला पर झूठ बांधों। (अन् नहल् : 116)

ह़दीस शरीफ में है :

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا

अल्लाह तआला ने कुछ फराइज़ मुकर्रर किए तो उसे ज़ाए ना करो और कुछ चीजों को हराम करार दिया तो उसके करीब ना जाओ। और कुछ हदें मुतअय्यन फरमाईं तो उसके आगे ना बढ़ो और बे भूल चूक कुछ चीजों का तजकिरा ना किया तो उसकी कुरेद ना करो।

(मिश्कात, किताबुल ईमान, 55/1, हदीस : 197)

इस आखरी जुम्ले की शरह में हन्फी आलिम हजरत मुल्ला अली कारी रह़ीमहुल्लाह फरमाते हैं :

دل على ان الاصل في الاشياء اباحة

इस जुम्ले से यह पता चला कि कुरआन व हदीस में जिसको ना हलाल किया गया हो ना हराम करार दिया गया हो वह मुबाह है। इसकी ताईद अल्लाह तआला के इस कौल से होती है :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

जमीन में जो है तुम्हारे फायदे के लिए है। (अल् बकरह : 29)

(मिरकात, जि. 1, स. 216)

और गैर मुकल्लिद मौलवी उबैदुल्लाह रहमानी लिखते है :

وسكت عن اشياء اى ترك ذكر اشياء اى حكمها من الحرمة والحل والوجوب وهو محمول على ما انتفى فيه دلالة النص على الحكم بجميع وجوهها المعتبرة فتستدل حينئذ بعدم ذكره بايجاب او تحريم او تحليل على انه معفو لا حرج على فاعله و لا على تاركه-

कुछ चीजों का तज़किरा ना किया या'नी ना यह बताया कि यह वाजिब है ना यह कि हराम है ना यह कि हलाल है। मतलब यह है कि अहकामे नुसूस से जिन जिन तरीकों से साबित होते हैं उनमें से इसके बारे में किसी हुक्म का पता नहीं चलता तो यह इस बात की दलील है कि मुआफ हैं ना उसके करने वाले से बाज़ पुर्स ना ना करने वाले से।

मज़्कूरा बाला आयात व अहादीस से यह मा'लूम हुआ कि किसी चीज के बारे में कोई हुक्म कुरआन व हदीस में ना होना उसके हराम और मनअ् होने की दलील नहीं। जैसा कि बकर बे खबर का कौल है बल्कि यह इस बात की दलील है कि इसको कर सकते हैं। शुरूअ से इस की कोई मुमानअत नहीं। और बकर ने इसको गलत कहा तो कुरआन व हदीस से इसका सबूत पेश करे कि कहां कुरआन व हदीस में इसकी मुमानअत आई है।

तख़्सीस

अब हम इस बात की दलील पेश करते हैं कि अल्लाह और रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के इस्माए मुबारका से मुसलमान अपने फअ़ल के शुरूअ़ में तब्बर्रुक ह़ासिल कर सकता है, इस के लिए किसी ज़ुबान और किसी रस्मुल खत की खुसूसियत नहीं तह़रीरी और तज़किरा ज़ुबान की तखसीस नहीं।

(अ) बिस्मिल्लाह शरीफ़ से जुमला अहम उमूर शुरूअ़ करने की ताक़ीद ह़दीस शरीफ़ में है जिस को ह़ाफ़िज़ अ़ब्दुल क़ादिर ने अपनी अरबईन में, और अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा ने अपनी मरवियात में और इब्ने हब्बान और अबू अवाना ने अपनी सिहाह में मुख़्तलिफ़ अल्फाज़ से रिवायत किया। और इब्ने ह़ब्बान और अबू अवाना ने और इब्ने सलाह़ ने तह़सीन व तसह़ीह़ फरमाई

"كل امر ذى بال لم يبدا فيه بذكر الله و بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع "

(عينى جلد اول، ص11)

जो अहम काम अल्लाह के ज़िक्र और बिस्मिल्लाह से न शुरूअ़ किया गया वो नाकिस है।

इस में सफह 12 पर है:

"وروى الشافعي ايضا انها ليست من اوائل السورة غير الفاتحة انما يستفتح السور بها تبركا"

इमाम शाफई़ फ़रमाते हैं के हम बिस्मिल्लाह शरीफ़ सुरह फातिह़ा के इ़लावा किसी सूरह का जुज़ नहीं मगर हर सूरत के शुरूअ़ में तबर्रुक के लिए लिखा जाता है।

(ब) हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ का नामे नामी अल्लाह तआ़ला के मुबारक नाम के साथ ज़िक्र करना आयत क़ुरआनी से साबित है ऐनी हवाला मज़्कूरा बाला में है:

"لان ذكره صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مقرون بذكره تعالى ولقد قالوا في قوله تعالى

و رفعنا لك ذكرك معناه ذكرت حيثما ذكرت "

हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआ़ला के ज़िक्र से मिला हुआ है।

मुफस्सिरीने किराम आयत कुरआनी "ورفعنا لك ذكرك" का मानी ये बताते हैं जहां मेरा ज़िक्र होगा वहीं तेरा ज़िक्र होगा।

इब्ने असाकर व हाफ़िज़ हुसैन इब्ने अह़मद इब्ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने बकर हज़रत अबू अमामा बाहिली रदि़अल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से ज़िक्र करते हैं:

من ولد له مولود فسماه محمدا حبابي و تبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة

तर्जुमा: जिसने मेरी मोहब्बत और मेरे नाम से हुसूले बरकत के लिए अपने नौमौलूद बच्चे का नाम मुहम्मद रखा तो वो और उसका बच्चा दोनों जन्नती होंगे।

इमाम जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं:

"هذا امثل حديث ورد فى هذا الباب و اسناده حسن "

इस बारे में ये सब से उम्दा हदीस है और इसकी सनद हसन है।

(بحواله فتاوى رضويه جلد دہم نصف اول ص202)

फ़तावा इमाम सखावी में है के अबू अशअस हरानी ने इमाम अ़ता से रिवायत किया:

من اراد ان يكون حمل زوجته ذكرا فليضع يده على بطنها وليقل ان كان ذكرا فسميته محمدا فانه يكون ذكرا

साहिबे रूहलमानी अल्लामा आलूसी ने अपनी तफ़सीर में ज़ेरे आयत "فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه" तहरीर फ़रमाया:

"قيل رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به "
(377/1)

हज़रत-ए-आदम अलैहिस-सलाम ने साक़ अर्श पर नामे मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ लिखा देखा उनके वास्ता से दुआ ए मग़फ़िरत की तो अल्लाह-तआला ने इस की बरकत से आप अलैहिस-सलाम की तौबा क़बूल फ़रमाई।

मुंदरजा बाला तफ़सील से ये वाज़िह हो गया कि जुमला जायज़ उमूर की इबतिदा में तबर्रुकन अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के असमा ए गिरामी का ज़िक्र महबूब व मंदूब है और ज़िक्र ज़बान और तहरीर दोनों ही सूरतों को आम है

कोई तहरीर हो रही हो तो इस की इबतिदा में ही ज़िक्र हो और दीगर उमूर हूँ तो ज़बान से ज़िक्र किया जाये।

चुनांचे हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने हुदैबिया के मुक़ाम पर अहल मक्का से जो तहरीरी मुआहिदा सुलह फ़रमाया उस की इबतिदा भी बिस्मिल्लाह से की (ऐनी अव्वल, स12)

क़ुरूने ऊला से ही आम तौर से इस्लामी मुसन्निफ़ीन का ये दस्तूर हो गया कि वो अपनी तसनीफ़ात की इबतिदा बिसमिल्लाह और हम्दो सलात से करते हैं, अगर किसी ने इस का ख़िलाफ़ किया तो इस पर तरह तरह के एतराज़ात किए जाते रहे ख़ुद इमाम बुख़ारी भी इस सिलसिला में एतराज़ात की बौछार से ना बच सके।

अब हम इस अम्र पर रोशनी डालते हैं कि ज़िक्रे ख़ुदा और रसूल के लिए किसी ख़ास ज़बान या रस्म-उल-ख़त की तख़सीस नहीं है।अल्लाह-तआला इरशाद फ़रमाता है:

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

अल्लाह-तआला ने हर रसूल को उसी की क़ौम की ज़बान के साथ भेजा (सूरा इबराहीम4)

तफ़सीर नीशापूरी में है:

ثم لما من الله على المكلفين بانزال الكتاب و ارسال الرسول ذكر ان من كمال تلك النعمه ان يكون ذلك الكتاب بلسان المرسل اليهم

अल्लाह-तआला ने मुकल्लिफ़ीन पर अपना ये एहसान ज़ाहिर फ़रमाया कि मैंने तुम्हारे लिए किताब उतारी और रसूल भेजे और इस इनाम का कमाल ये है कि किताब इसी क़ौम की ज़बान में है जिस पर उतारी गई (नीशापूरी अला हाशीया तबरी जिल्द12, स104)

इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीर तबरी जिल्द12 स121 में है:

يقول تعالى ذكره (وما أرسلنا) الى امة من الامم يا محمد من قبلك و من قبل قومك(ورسولا إلا بلسان قومه) الامة التي ارسلناه اليها ولغتهم ليفهمهم ما ارسله الله به اليهم من امره ونهيه

अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है के ए मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ हम ने आप से और आप की कॉम से पहले जो रसूल भी भेजे तो उस कॉम की ज़बान और लुगत में भेजे ताके वो पैगम्बर अल्लाह पाक के अहकाम इन्हे खूब समझाए और ज़ाहिर यही है के किताब जिस ज़बान में उतरे गी रस्मुल खत भी इसी ज़बान का होगा। और अल्लाह व रसूल के ज़िक्र व असमा भी इस रसमुल खत में तहरीर होगें। जिस से ये अम्र आफताब की तरह रोशन हो गया के अल्लाह पाक व रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के असमा वो सिफात व आयाते ज़िक्र का किसी रस्मुल खत में लिखना

मनअ़ नहीं, बल्के जायज़ व मामूल है।

अ़ददी रस्मुल खत

अब हम अ़ददी रस्मुल खत के बारे में कुछ अ़र्ज़ करते है:

खुतूत व मुरास्लात में इन असमा के साथ तबररूक अगर अ़रबी रस्मुल खत में हो तो इस में इस बद एहतियाती का खतरा था के इस को पाक या नापाक सभी चूमते है और इस को ज़मीन पर भी डाल देते है। तो इस बद एहतियाती से बचने के लिए एक नया रस्मूल खत ईजाद किया जिस में अ़रबी हुरूफ तहज्जी की अददी हैसियत मुकर्रर की मसलन:

अलिफ के लिए "1", "बा" के लिए "2" , "जीम" के लिए "3" और "दाल" के लिए "4" ऐसे ही आखिर तक। और किसी इसमे जा़त या आयात में इन सब के अददी क़ीमत जोड़ कर इस के मजमुआ को इस इस्म या आयात की अलामत करार दिया। मसलन : बिस्मिल्लाह में कुल उननीस हरफ लिखने में आते है, इन हुरुफ की अददी कुव्वत का मजमुआ 786 हुवा, इस को लिख देने के बाद बिस्मिल्लाह का तबर्रुक भी हासिल हो गया और मुमकिना बे अदबी के खतरे से भी हिफाज़त हो गई। ये सारी तफसील हम ने आप की तसल्ली के लिए लिख दी है वरना मोअ़तरिज़ बकर का काम तो वही से तमाम हो गया के इस के जवाज़ में दलील देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है अलबत्ता उस के ना जायज़ होने की आयात या हदीस पेश करना बकर साहब का काम है।

वल्लाहु ताअ़ला अअ़लम

अब्दुल मन्नान आज़मी

शम्सुल उलुम घोसी, ज़िला मऊ

(دیکھیں: فتاوی بحر العلوم، ج6، ص128 تا 132، کتاب العقائد، ط شبیر برادرز لاہور، ط1431ھ)

चौथा हवाला
तफहीमुल मसाइल

सवाल:

तफहीमुल मसाइल जिल्द दुवम में इस ताल्लुक से सवाल किया गया और सवाल में किसी मुफ्ती साहब की तहकीक को भी नकल किया गया है जिस में 786 लिखने का सख्ती से ना सिर्फ रद किया गया बल्के इसे हिन्दुमत से जोड़ा गया है। पहले हम वो जवाब नकल करते है।

एक शिद्दत पसंद मुफ्ती का जवाब:

आम तौर पर खुतुत, दस्तावेज़ात और तहरीरो वग़ैरा में बिस्मिल्लाह के बजाए 786 लिख दिया जाता है के इन कागज़ात के ज़मीन पर गिरने से बिस्मिल्लाह के पाकीज़ा हुरूफ की बे अदबी होती है, इन को बे अदबी से बचाने के लिए 786 लिख दिया जाता है जब के इस्लामी तालीम वाज़ेह तौर पर ये है के हर काम अल्लाह ताअ़ला के नाम से शुरू करना चाहिए, जो काम अल्लाह ताअ़ला के नाम से शुरू ना किया जाए, इस में बरकत नहीं होती और वो पाए तकमील तक भी नहीं पहुंचता। ये बात काबिले गौर है के इस तरह अल्लाह पाक का नाम लेना सहीह है, फर्ज़ कीजिए किसी के नाम के अदाद का मजमुआ 420 हो और कोई इसे नाम के बजाए मिस्टर 420 कह कर पुकारे तो इस का रद ए अमल क्या होगा, इसी तरह बिस्मिल्लाह की बजाए 786 किसी तरह भी पसंदीदाह नहीं है फिर ये बात भी याद रखनी चाहिए के बिस्मिल्लाह के अदद 786 नहीं बनती, कमरी हुरुफ की सूरत में "अल" लगा कर पढ़ा जाता है जब के शम्सी हुरूफ़ के साथ "अल" लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अल रेहमान और अल रहीम में कमरी हुरुफ की सूरत में बिस्मिल्लाह के अदद का मजमुआ 726 बनता है यानी किसी भी सूरत में इस का मजमुआ 786 नहीं बनता,

अब सवाल ये पैदा होता है के फिर 786 है क्या ? गालिब इमकान ये है के 786 हिंदुओ के भगवान हरी कृष्ण के नाम के हुरूफ का मजमुआ है, हुरूफ अबजद के हिसाब से इसी के ये अदाद निकलते है, बरे सगीर पाक वो हिंद के मुसलमान सैकड़ों बरस तक हिंदुओ के साथ इखट्टे रहे है, वो 786 इस्तेमाल करते होंगे, इस तरह की तशरीह इन्होंने इस को सहिह समझ कर 786 का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह के लिए इस तरह के अदाद का इस्तेमाल दर हकीकत अल्लाह पाक की नाराज़ी के दावत देने के मुतरादिफ है, इस लिए इन आदाद के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर इज्तेनाब करना चाहिए।

मज़कूरा बाला जवाब में मुफ्ती साहब ने इसे बिल्कुल गलत और बातिल करार दिया है और इस का रिश्ता हिंदूमत से जोड़ दिया है और ये भी दावा किया है के बिस्मिल्लाह के आदाद का मजमुआ कमरी हुरूफ के हिसाब से 1186 बनता है और शम्सी हुरूफ के हिसाब से 726 बनता है, 786 तो किसी सूरत में नहीं बनता, इस जवाब को पढ़ कर बहुत से लोग तशविश में मुब्तिला हैं क्युकी हमारा मुशाहिदा है के बुज़ुरगाने दीन इसे अपनी तेहरीरो, खतूत और तावीज़ात में इस्तेमाल करते रहे है और अब भी ये रिवायत जारी है, लिहाज़ा गुज़ारिश है के शरीयत की रोशनी में इस मसले को हल कीजिए, ता के हम जैसे लोगो का इज़्तराब रफअ़ हो।

प्रोफ़ेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जवाब :

सब से पहले तो ये इतमीनान कर लीजिए के बिस्मिल्लाह के आदाद का मजमुआ अब्जद के हिसाब से 786 ही बनता है, इस की तफसील दर्ज ज़ेल है:

क़ायदा ये है कि जो हुरूफ़ मकतूब होते हैं उनके आदाद का हिसाब लगाया जाता है, ख़ाह वो शमसी हों या क़मरी, तश्दीद की सूरत में भी चूँकि मकतूब एक ही हर्फ़ होता है लिहाज़ा उस के आदाद को जमा कर लिया जाता है,

लफ़्ज़ अल्लाह और अल रहमान पर खड़ी ज़बर बसूरत हर्फ़ नहीं है बल्कि बसूरत हरकत है, लिहाज़ा

इस का अदद भी हिसाब में नहीं आएगा। हमारे हाँ एक अलमीया ये है कि कोई शख़्स किसी इलम या फ़न का माहिर हो या ना हो, इस में टांग ज़रूर अड़ाता है, और ना सिर्फ माहिराना राय देता है बल्कि अपनी राय को हरफ़-ए-आख़िर समझता है और हुज्जत-ए-क़ाते क़रार देता है और इस मुआमले में सबसे ज़्यादा मज़लूम इस्लाम और शरीयत है, बाक़ौल शायर

हर बुल-हवस ने हुस्न परस्ती शिआर की
अब आबरूए शैव ए अहले नज़र गई

अबजद के उसूल का अरबी इस्तिलाही नाम "जमल" या "जुम्मल है। मुफ़्ती साहिब ने दूसरी मुग़ालता आराई या ख़ुद-साख़्ता इजतिहाद ये किया है कि 786 के आदाद को हिंदूओं के भगवान "हरी कृष्णा" के आदाद का मजमूआ क़रार देकर इस से ज़ाहिर किया है कि ये एक मुशरिकाना कलिमा है। इस सिलसिला में गुज़ारिश ये है कि "हरी कृष्णा" संस्कृत का लफ़्ज़ है, ना कि अरबी का, और "जमल" का हिसाब अरबी का है और उर्दू में बी एनिही अरबी के हुरूफ़ मुस्तमल होने की वजह से उसे उर्दू में भी इख़तियार कर लिया जाता है, क्योंकि उर्दू के असल माख़ज़ अरबी और फ़ारसी हैं, संस्कृत में तो जमल के हिसाब को जारी करने वाले मुफ़्ती हुसामुल्लाह शरीफ़ी साहिब पहले फ़र्द हैं। एतबार तो उसी रस्म-उल-ख़त का होता है, जिसका वो कलिमा या हर्फ़ है, संस्कृत की तो अबजद (Alphabetic), उनका रस्म-उल-ख़त और तलफ़्फ़ुज़ बिलकुल जुदा है, किसी माहिर संस्कृत से "हरी कृष्णा लिखवा कर देख लीजीए, उस के बाअज़ हुरूफ़ के मुशाबेह बहिसाब जमल अबजद का कोई भी हर्फ़ नहीं है। हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ उल-हक़ अमजदी साहिब रहीमहुल्लाह के बाक़ौल बहुत ही खींच-तान कर आदाद को जोड़ भी लिया जाये (यानी संस्कृत के हरी

कृष्णा के असल हुरूफ़ तो ज़्यादा से ज़्यादा 436 बनते हैं, लेकिन अगर किसी को ख़्वाह-मख़ाह मुस्लमानों का हिंदू मत से रिश्ता जोड़ने या इस से मुतास्सिर क़रार देने का शौक़ होतो यही कहा जा सकता है कि

بریں عقل ودانش بباید گریست

ऐसी अक्लमंदी और दानिश पर मुझे रोना चाहिए

अब देखिये संस्कृत के हरूफ़-ए-तहज्जी भ, प, टे, ठ, झ, छः, धा, खा, ग, घा वग़ैरा अरबी में कहाँ हैं, और जिन हिन्दी या संस्कृत के अलफ़ाज़ में ये हरूफ़-ए-तहज्जी इस्तिमाल होंगे, उनके आदाद का हिसाब मुफ़्ती साहिब मौसूफ़ कैसे करेंगे, या उनके "जुमल के नए क़वाइद वज़ा करेंगे, क्या मुफ़्ती साहिब ना-काबिल तरदीद दलायल से ये साबित कर सकते हैं कि संस्कृत या हिंदू मत में जुमल का हिसाब राइज था।

हमारा ये मौक़िफ़ कि बिसमिल्लाह अल रहमान अलरहीम के लिए 786 का अदद अह्ले इल्म के हाँ इस्तिमाल होता रहा है , तवातुर के साथ साबित है। इस वक़्त मेरे सामने एक "इल्म उल मीरास का रिसाला है जिसका नाम है "मुफ़ीदुल वारिसीन मुकम्मल" और ये नाम भी जुमल के हिसाब से रखा गया है, यानी रिसाले का सना तबाअत भी 1349 हिजरी है और किताब के मज़कूरा बाला नाम के आदाद का मजमूआ भी 1349 बनता है, ये रिसाला दार उल-इशाअत देवबंद ज़िला सहारनपूर से शाया हुआ है और इस के मुसन्निफ़ दार-उल-उलूम के एक बुज़ुर्ग नामी गिरामी मुदर्रिस सैय्यद असग़र हुसैन हैं, वो किताब के सफ़ा नंबर 232 पर लिखते हैं:

"एक तवील काग़ज़ लेकर उस की पेशानी पर हूवल बाक़ी या बिस्मिल्लाह लिखो, या बिसमिल्लाह के आदाद 786 लिखो, वग़ैरा

इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी रहीमहुल्लाह की किताबों के नाम भी

"जुमल' के हिसाब से आदाद के मुताबिक़ हैं।

बाक़ी ये अम्र मुसल्लम है कि हर नेक और अहम काम का आग़ाज़ बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। अगर वो काम कोई अच्छी तहरीर, तसनीफ़ या ख़त किताबत है तो उस के शुरू में भी "बिस्मिल्लाह" लिखना मस्नून ,मुस्तहब और मुस्तहसन अम्र है, इस से इस काम में भी बरकत पैदा होती है। और इस तहरीर में भी बरकत होती है लेकिन किसी तहरीर या ख़त किताबत के शुरू में बिस्मिल्लाह उस वक़्त लिखा जाये जब ये ज़न-ए-ग़ालिब या कम अज़ कम "मुख़ातब' और "मकतूब अ़लैह" के बारे में हुस्न-ए-ज़न हो कि वो उस का अदब वा एहतराम मलहूज़ रखेंगे, उसे क़दमों के नीचे या किसी डस्टबिन और कूड़ेदान में नहीं फैंकेंगे और अगर ख़ुदा-ना-ख़ासता बे-अदबी का गुमान या यक़ीन हो तो फिर ख़त किताबत या तहरीर के शुरू में बिसमिल्लाह हरगिज़ ना लिखी जाये बल्कि ख़त किताबत या तहरीर शुरू करने से पहले ज़बानी बिस्मिल्लाह पढ़ ले और फिर लिखना शुरू कर दे। हमारे फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि अगर कुफ़्फ़ार की बस्ती में जाता हो और यक़ीन या ज़न-ए-ग़ालिब हो कि क़ुरआन-ए-मजीद लेकर जाऐंगे और वो उनके हाथ लग गया तो वो उस की बे-हुरमती करेंगे तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में क़ुरआन-ए-मजीद साथ लेकर ना जाएं।

ये अक़ीदा या नज़रिया किसी का नहीं कि बिस्मिल्लाह लिखने या पढ़ने के बजाय 786 का अदद लिखा जाये या पढ़ लिया जाये तो बिस्मिल्लाह का सवाब मिलेगा, क्योंकि ये अक़ीदा इख़तियार करने से सुन्नते बिस्मिल्लाह का तर्क लाज़िम आएगा, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि जब 786 बिसमिल्लाह का मुतबादिल या उस के क़ाइम मक़ाम नहीं है तो लिखने का क्या फ़ायदा।

आपको मालूम है कि बाज़ कोड वर्डज़ (Code Words) या इशारती अलफ़ाज़ या निशानात होते हैं, जो मुसल्लह अफ़्वाज सैक्योरिटी इंजीनियर

और बाअज़ सुराग़ रसानी के इदारों या शोबा जात में इस्तिमाल होते हैं और इस शोबा से वाबस्ता अफ़राद का ज़हन उनके सुनते ही या उन पर नज़र पड़ते ही इन मुआनी की तरफ़ मुंतक़िल हो जाता है जिनके लिए उन्हें वज़ा किया गया है। तो अगर ख़त या तहरीर के शुरू में 786 का अदद लिखा हो और इस पर नज़र पड़ते ही क़ारी का ज़हन बिसमिल्लाह की तरफ़ मुंतक़िल हो जाये और वो फोरन बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, बे-अदबी से भी बच गए और सुन्नते बिस्मिल्लाह का अज्र भी पा लिया। ये तो तै है कि 786 का लिखना किसी के नज़दीक भी वाजिब या सुन्नत के दर्जे में नहीं है और इस के तर्क से कोई शरई ख़राबी लाज़िम नहीं आती लेकिन अगर इस पर नज़र पड़ते ही बंदे का ज़हन मुतवज्जा हो जाये और वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो ये इस जिहत से एक मुस्तहसन अम्र होगा।

ये मसला कि आदाद में कोई तासीर है या नहीं? मेरी नज़र में इस के लिए कोई दलील शरई नहीं है। लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी समेत दीगर मुतअद्दिद अकाबिरे उम्मत तावीज़ात में उनका इस्तिमाल करते रहे हैं और हमारा इन सब अकाबिरे उम्मत के बारे में हुस्न-ए-ज़न है कि ये किसी ख़िलाफ़ शरा अम्र पर मुजतमा नहीं हो सकते और हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ का इरशाद मुबारक है

لا تجتمع امتی علی الضلالة

मेरी उम्मत गुमराही पर मुजतमा नहीं हो सकती (अलहदीस)

तवारिस व तवातुर के साथ अकाबिर व सुलहा ए उम्मत का अमल ये बताता है कि उनके नज़दीक ये अमल मुजर्रब है। एक अहम मसला ये है कि जुमल या अबजद या हुरूफ़ के आदाद का तसव्वुर मुस्लमानों में कब से मुतआरिफ़ था, तो इस सिलसिले में गुज़ारिश है कि मुस्लमान अहदे

रिसालत में भी इस से आशना थे, चुनांचे अल्लामा क़ाज़ी अबुल-ख़ैर अब्दुल्लाह बिन उम्र बैज़ावी शीराज़ी मुतवफ़्फ़ा 685 हिजरी ने अपनी मारकितुल आरा तफ़सीर अनवारुत तन्ज़ील में अलिफ लाम मीम की बेहस में ये हदीस नक़ल की है:

اوالی مدد اقوام وأجال بحساب الجمل کما قاله ابوالعالیة ممسکا بما روی انه علیه الصلوة والسلام لما اتاه الیهود تلی علیهم الٓمٓ، البقره، فحسبوه وقالوا کیف ندخل في دین مدته احدی وسبعون سنة؟ فتبسم رسول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ، فقالوا: هل غیره، فقال: الٓمٓصٓ، الٓرٰ ، الٓمٓر، وغیره، فقالوا: خلطت علینا فلاندری بایها ناخذ

या बाज़ सूरतों के शुरू में मज़कूर इन हुरूफ़ मुक़त्तआत से बहिसाब जुमल बाज़ क़ौमों की बक़ा की मियाद की तरफ़ इशारा है, जैसा कि अबूल आलिया ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ की एक

हदीस से इस्तिदलाल किया है, कि जब यहूद आप के पास आए तो आप ने उन्हें "अल बक़रा" पढ़ कर सुनाई तो उन्होंने हिसाब लगाया और कहा कि "हम ऐसे दीन में कैसे दाख़िल हों, जिसकी कल मुद्दत ही 71 साल है" तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ये सुनकर मुस्कुराए , तो इस पर यहूद ने पूछा क्या इस के इलावा भी कुछ है? , फिर आपने दीगर ऐसी आयात पढ़ कर सुनाईं तो उन्होंने कहा आपने मुआमला हम पर मुश्तबा कर दिया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उनमें से किसे बुनियाद बना कर हिसाब लगाऐं।

इस पर बेहस करते हुए अल्लामा क़ाज़ी बैज़ावी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ का यहूद के इस इस्तिदलाल को रद्द ना करना यानी जुमल का हिसाब लगाना और उसे साबित-ओ-क़ायम रखना इस बात की दलील है कि आपके नज़दीक उसूली तौर पर हिसाब लगाना ख़िलाफ़ शरा नहीं है। गोया ये हदीस तक़रीरी है।

हमें असल कुतुबे हदीस में ये हदीस नहीं मिली लेकिन बैज़ावी के मुहश्शी शेख़ हबीब अल रहमान कांधलवी ने लिखा है कि इमाम बुख़ारी ने उसे तारीख़ अल बुख़ारी में रिवायत किया है। इस पर अगर कोई शख़्स ये एतराज़ करे कि जुमल का हिसाब तो अपनी असल के एतबार से अरबी नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात ग़ैर अरबी कोई चीज़ जब अहले अरब में मुतआरिफ़ व मशहूर हो जाये तो उसे क़बूल कर के अरबीयत में दाख़िल कर दिया जाता है। चुनांचे कई अरबी अलफ़ाज़ को मुअर्रब कर के अरबी में दाख़िल कर दिया गया है और क़ुरआन में उन्हें इस्तिमाल किया जाता है, हालाँकि अल्लाह-तआला का वाज़ेह इरशाद है:

ان ا انزلنه قرءٰنا عربیا

हमने उसे (क़ुरआन) को अरबी में नाज़िल किया है। (यूसुफ़:2)

و هذا السان عربی مبین

और ये वाज़ेह अरबी ज़बान है (अल नहल:103)

(देखें तफ़हीमुल मसाइल, अज़ प्रोफ़ैसर मुफ़्ती मुनीबुर रहमान, ज.2 ‘स.349 ता 355 ‘ज़िया उल-क़ुरआन पब्लीकेशन्ज़, लाहौर, त.2011)

पांचवां हवाला

फतावा फ़क़ीहे मिल्लत

हरे कृष्णा के आदाद

तफ़हीमुल मसाइल के हवाले से इस पर बयान गुज़र चुका कि 786 वग़ैरा को हिंदूमत से जोड़ना किसी तरह दरुस्त नहीं है। अब हम इस पर मज़ीद तफ़सील पेश कर रहे हैं। फतावा फ़क़ीहे मिल्लत में एक सवाल इस ताल्लुक़ से कुछ यूं किया गया:

सवाल:

मस्जिद की दीवार पर 786 लिखा हुआ है इमाम साहिब कहते हैं उसे

उखाड़ कर फेंक दो और वो कहते हैं ख़त वग़ैरा किसी भी चीज़ पर786 नहीं लिखना चाहिए इसलिए कि 786 हरी कृष्णा का अदद है तो क्या ये सही है? अगर नहीं तो ऐसे इमाम के बारे में क्या हुक्म है? इस के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है और जितनी नमाज़ें पढ़ी गईं उनका क्या हुक्म है?

अल जवाब:

इमाम मज़कूर का ये कहना ग़लत है कि ख़त वग़ैरा किसी भी चीज़ पर 786 नहीं लिखना चाहिए और इस का ये कहना कि इस को मस्जिद की दीवार से उखाड़ कर फेंक दो इस लिए कि ये हरी कृष्णा का अदद है महज़ उस की जहालत और हिमाक़त है वो जुमल के क़ाएदे से बिलकुल नावाक़िफ़ है इसलिए कि जुमल का हिसाब अरबी हुरूफ़ के साथ ख़ास है हिन्दी, संस्कृत में ना ये तरीक़ा राइज है और ना उन के हुरूफ़, हरूफ़-ए-तहज्जी के मुताबिक़ हैं। जुमल के हिसाब में जो गिनतीयाँ हैं वो 28 हैं और अरबी के हुरूफ़े तहज्जी भी 28 हैं जब कि संस्कृत के हरूफ़-ए-तहज्जी 36 हैं जिसमें अलिफ़ सिरे से है ही नहीं। अलिफ़ को संस्कृत में शब्द-ओ-हर्फ़ नहीं मानते मात्रा मानते हैं जब कि जुमल के हिसाब में पहला हर्फ़ अलिफ़ (हमज़ा) है जिसका अदद एक है नीज़ जुमल के बहुत से हुरूफ़ संस्कृत में बिलकुल नहीं हैं मसलन:

حا، خا، ذ، ظا، ص، ض، ط، ع، غ، فا، ق

और बहुत से संस्कृत के हरूफ़-ए-तहज्जी जुमल के हिसाब में नहीं मसलन: भ, प, ट, ठ, झ, छः, धा, ड, ढा, ग, घा, खा वग़ैरा

अगर जुमल का हिसाब संस्कृत वग़ैरा में होता तो उनके हर हरूफ़-ए-तहज्जी का कोई ना कोई अदद ज़रूर होता। संस्कृत और हिन्दी के तमाम हरूफ़-ए-तहज्जी का अदद ना होना और अरबी के हर हर हर्फ़ तहज्जी का अदद होना तो ये इस बात पर वाज़ेह दलील है कि जुमल का हिसाब सिर्फ़ अरबी कलिमात और हुरूफ़ में मोतबर है और दीगर ज़बानों के कलिमात

और हुरूफ़ में इस का एतबार नहीं।
और इसलिए भी 786 हरी कृष्णा का अदद नहीं कि इस में एतबार इसी रस्म-उल-ख़त का होगा जिस ज़बान का वो कलिमा है।
हरी कृष्णा संस्कृत ज़बान का लफ़्ज़ है और संस्कृत में उसे इस तरह लिखते हैं:

"हरी कृष्णा"

ह

को "٥" मानिए

र

को "ر" मानिए

ई

की मात्रा को "ى" मानिए

कृ

को "ک اور ر" और णा में अ की मात्रा को अलिफ़ मानिए, बितर्तीब उनके अदद इस तरह होंगे 5, 200, 10, 20, 200 और 1, क्यों कि "ण" और "ष" के मुमासिल अबजद में कोई हर्फ़ नहीं ज़बरदस्ती "ष" को "श" और" ण" को "नून" मान कर 786 अदद निकालना जुमल के हिसाब से बिलकुल सही नहीं ना ये लफ़्ज़ उर्दू का और ना उर्दू रस्म-उल-ख़त का एतबार होगा जिस ज़बान का लफ़्ज़ है उसी ज़बान के रस्म-उल-ख़त का एतबार लाज़िम व ज़रूरी है। तो उपर किए गए हिसाब के मुताबिक़ "हरी कृष्णा" के अदद 786 नहीं बल्कि 436 हैं। और अगर उस को किसी तरह उर्दू रस्म-उल-ख़त में लाकर 786 अदद मान भी लें तो इस से ये कहाँ लाज़िम आता है कि महज़ इस वजह से 786 लिखना सही ना रहे इस में क़तअन किसी सुनी सही उल-अक़ीदा मुस्लमान की नियत हरगिज़ नहीं होती कि ये हरी कृष्णा का अदद है।

बल्कि लोग उसे बिस्मिल्लाह का अदद समझ कर इस नीयत से लिखते हैं और जिसकी जैसी नीयत होगी उस के लिए वैसा ही हुक्म होगा। हदीस शरीफ़ में है हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया: आमाल का मदार नीयतों पर है और हर शख़्स के लिए वो है जो उसने नीयत की । (बुख़ारी, ज.1, स.2)

लिहाज़ा मस्जिद की दीवार पर और ख़त वग़ैरा किसी भी चीज़ पर 786 लिखना ग़लत नहीं जाइज़ -ओ- दरुस्त है।

और सूरत मस्तफ़सिरा से ज़ाहिर ये है कि वो इमाम वहाबी, देवबंदी है क्यों कि ये एतराज़ वही लोग बड़ी कसरत से कर रहे हैं। यक़ीन के लिए मौलवी अशरफ अली थानवी, क़ासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही और ख़लील अहमद अंबेठवी की कुफरी इबारतें मुंदरजा हिफ़्ज़ अल ईमान सफ़ा8, तहज़ीरुन नास सफ़ा3, 14, 128 और बराहीने कातिआ सफ़ा51 तकरीरन या तहरीरन उस के सामने पेश की जाएं कि जिनके सबब मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बंगला देश और बर्मा वग़ैरा के सैंकड़ों उलमाए किराम व मुफ़तियाने उज़्ज़ाम ने मौलवियान मज़कूर को क़तअन, यक़ीनन काफ़िर व मुर्तद क़रार दिया है। अगर इमाम इन मौलवियों को अच्छा है या कम अज़ कम मुस्लमान जाने या उनके कुफ़्र में शक ही करे तो बमुताबिक़ फ़तवा हुस्साम उल हरमैन वो भी काफ़िर व मुर्तद है इसलिए कि फ़ुकहाए किराम ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फ़रमाया

"من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر"

लिहाज़ा इस सूरत में इमाम मज़कूर के पीछे नमाज़ पढ़ना हरगिज़ जायज़ नहीं और जितनी नमाज़ें पढ़ी गईं इन सब का लौटाना वाजिब जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिसे बरेलवी तहरीर फ़रमाते हैं देवबंदी अक़ीदे वालों के पीछे नमाज़ बातिल है। होगी ही नहीं, फ़र्ज़ सर पर रहेगा

और उन के पीछे पढ़ने का शदीद अज़ीम गुनाह, फ़तहुलकदीर शरह हिदाया में है

(फ़तावा रिज़वीय्या, जिल्द सिवूम, सफ़ा.235)

अल-जवाबुस सहीह: जलालुद्दीन अहमद अल अमजदी

कतबहु: मुहम्मद उवैस अल-क़ादरी अमजदी मोरानवी

(फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, ज.2, स.283, 284, त. शब्बीर बिरादर्ज़ लाहौर, स.2005ई.)

छटा हवाला

फ़तावा बहरुल उलूम

तावीज़ात में आदाद

सवाल:

सवाल किया गया कि बिस्मिल्लाह के अदद 786 हैं। फ़िक़्ह की किताबों में अदद ना लिखने का हुक्म दिया जाता है जैसा कि आला हज़रत भी तहरीर किए हैं और दूसरे मुक़ाम पर आला हज़रत बिस्मिल्लाह के अदद दाएं तरफ़ से तहरीर फ़रमाते थे ,6 के बाद 7 और फिर 8 दरयाफ़त तलब अमर ये है कि कुतुब फ़िक़्ह में अदद ना लिखने का हुक्म और

तावीज़ात में लिखते हैं आख़िर क्या हुक्म है? तहरीर करें।

अल-जवाब:

बहरुल उलूम, मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाह लिखते हैं:

आपने फ़िक़्ह की किस किताब में देखा है कि अदद ना लिखा जाए उम्मीद है कि हवाला से मुत्तला करेंगे। तावीज़ात में आदाद का इस्तिमाल शाय व ज़ाइअ है। इसी तरह ख़ुतूत-ओ-रसाइल में लफ़्ज़ अल्लाह को बे अदबी से बचाने के लिए 786 वग़ैरा आदाद लिखने का रिवाज है और ये बेहतर है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ां साहिब रहीमहुल्लाह अपने फ़तावा

जिल्द नहम में फ़रमाते हैं कुफ़्फ़ार को अगर तावीज़ दिए जाएं तो मुज़मर (आदाद में) उन्हें मज़हर की इजाज़त नहीं (स.112)

(देखिए फ़तावा बहरुल उलूम, ज.6, स.393, 394, त. शब्बीर बिरादर्ज़ लाहौर, स.1431ह.)

सातवाँ हवाला
फ़तावा यूरोप व बर्तानिया

अबजद नक़्शा

फतावी यूरोप व बर्तानिया में है कि हुरूफ़े अबजद के एतबार से ये 786 बिस्मिल्लाह शरीफ़ के आदाद हैं और उनको बिस्मिल्लाह शरीफ़ की जगह लिखा जाता है। हुरूफ़े अबजद का टेबल मअ आदाद दर्ज ज़ेल है:

ز 7	و 6	ھ 5	د 4	ج 3	ب 2	ا 1
ن 50	م 40	ل 30	ک 20	ی 10	ط 9	ح 8
ش 300	ر 200	ق 100	ص 90	ف 80	ع 70	س 60
غ 1000	ظ 900	ض 800	ذ 700	خ 600	ث 500	ت 400

इन तमाम आदाद को जमा करने से बिस्मिल्लाह का मजमूआ 786 आता है।

(फ़तावा यूरोप व बर्तानिया, स.384, त. मकतबा ज़ियाए अहले सुन्नत, स.1439ह.)

आठवां हवाला

फ़तावा बहरुल उलूम

सवाल:

(1) 786 और 92 लिखने की शरई हैसियत क्या है?

(2) क्या बिस्मिल्लाह की जगह 786 और मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ की जगह 92 लिखना जायज़ है? अगर जायज़ है तो इस की नौइयत क्या है? इस के आदाद किस तरह निकाले जाऐंगे?

(3) बाज़ लोगों का कहना है कि 786 से दर असल अहले हिनूद के भगवान हरे कृष्णा के नाम के आदाद हैं, उस के तमाम नंबरों को टोटल करने से 786 होता है, लिहाज़ा 786 लिखना या बोलना शिर्क-ओ-बिद्दत है तो ऐसे शख़्स पर शरई हुक्म किया है?

नोट: इन सवालात के जवाब हत्तल मक़दूर क़ुरआन व हदीस की रोशनी में मुदल्लल व मुफ़स्सल तरीक़े से तहरीर फ़रमाएं, ऐन नवाज़िश होगी।

अल-जवाब:

इस सवाल के जवाब में बहरुल उलूम, अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाह लिखते हैं:

हदीस शरीफ़ में है हर अच्छे काम की इबतिदा बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए।

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أقطع

(الدر المنثور:١/١٠)

इस हदीस को इमाम ऐनी रहीमहुल्लाह ने अपनी शरह बुख़ारी की इबतिदा में तसरीह फ़रमाई है। तहरीरी काम की इबतिदा में इस को क़लम से लिखना ज़रूरी नहीं ज़बान से भी का दिया जाये तो सुन्नत अदा हो

जाएगी, इस अम्र की तसरीह बुख़ारी की शरह में इमाम ऐनी ने की, और हज़रत मौलाना अबदुर्रहमान ने शरह जामी में फ़रमाई। तहरीर की इबतिदा में अफ़ज़ल ये होगा कि दोनों ही तरीक़ों से इस मुबारक कलिमा को अदा किया जाये। और तहरीर की सूरत में किसी एक रस्म-उल-ख़त की पाबंदी नहीं, आदमी किसी भी रस्म-उल-ख़त में लिख सकता है, ये कहना कि सिर्फ अरबी रस्म-उल-ख़त होना चाहिए, हिन्दी में लिखना बिद्अत है, अपनी जहालत का सबूत है।

अददी तहरीर का नाम रम्ज़ी रस्म-उल-ख़त है। जिस में तमाम हरूफ़-ए-तहज्जी के लिए आदाद का इस्तिमाल होता है जैसे बिस्मिल्लाह की रम्ज़ी तहरीर की तफ़सील इस तरह होगी

ب=2، س=60، م=40، ا=1، ل=30، ل=30، ہ=5، ا=1، ل=30، ر=200، ح=8،

م=40، ن=50، ا=1، ل=30، ر=200، ح=8، ی=10، م=40

इन आदाद की बिस्मिल्लाह के मुफ़रिदात पर दलालत इल्तिज़ामी है। दलालत इल्तिज़ामी की भी वो क़िस्म जिसमें लाज़िमो मलज़ूम के तसव्वुर से जज़्म बिल लुज़ूम होता है, इन आदाद को इसी तरकीब से लिखा देख कर ये पता चल जाएगा कि बिस्मिल्लाह शरीफ़ की रम्ज़ी तहरीर है। और इन आदाद का मजमूआ बिस्मिल्लाह शरीफ़ का इजमाल है, तो ये अददी तहरीर भी एक रस्म-उल-ख़त ही है, और इस तहरीर में लिखना भी इबतिदा बिस्मिल्लाह के उलूम में दाख़िल है तो इस को बिद्अते ममनूआ में दाख़िल करना बड़ी जहालत और ला इलमी होगी।

मज़कूरा बाला तफ़सील से ज़ाहिर हुआ कि अददी तहरीर के लिए वज़ा जदीद और इस्तिलाह व मुहावरा ख़ास की ज़रूरत होती है। चुनांचे अस्हाबे इल्मे तक़सीर नुक़ूश के लिए आयात -ओ- असमा-ए इलाही के आदाद निकाल कर इस उसूल पर तावीज़ों की ख़ानापुरी करते हैं। आला हज़रत

फ़ाज़िले बरेलवी फ़तावा रिज़वीय्या नहम स.112 पर फ़रमाते हैं:
कुफ़्फ़ार को अगर नुक़ूश दिए जाएं तो मुज़मर, उन्हें मज़हर की इजाज़त नहीं।

और तारीख़ गो उदबा व शुअरा भी उन्हें ख़ुतूत पर अश्या और हवादिस की तारीख़ बयान करते हैं। और इख़तिसार-ओ-इजमाल का ये तरीक़ा खासतौर से अहले इस्लाम में शाया व ज़ाया है। बल्कि ख़ुद मुआमलाते शरा में भी हरूफ़े तहज्जी के ज़रीया ये इजमालो इख़तिसार जारी-ओ-सारी है, आम तौर से लफ़्ज़ "حوقل" से लाहौल वला क़ुव्वत के कहने की तरफ़ इशारा होता है। लफ़्ज़ "तहलील" से ला-इलाहा इल-लल्लाह कहने की तरफ़ इशारा होता है और लफ़्ज़ "استرجع" कह कर ये मुराद लिया जाता है कि मैं

"انا للہ وانا الیہ رجعون"

कहता हूँ तो इस तरह के इख़तिसारो इजमाल का इस्तिमाल ब-वक़्ते ज़रूरत शरअन नाजायज़ व ममनू ना हुआ। और हरे कृष्णा का मुआमला इस के बिलकुल बरअक्स है।

अव्वलन: 786 के अदद को हरे कृष्णा के लिए ना मुस्लमानों ने वज़ा किया है ना हिंदूओं ने बल्कि हिंदू तो रम्ज़ वा इजमाल की इस सनअत से ही ना-बलद हैं। पस बिसमिल्लाह के लिए 786 की तरह हरी कृष्णा के लिए ना तो इस की जदीद वज़ा हुई, ना इस्तिलाह ख़ास बनी, और जब 786 लफ़्ज़ हरे कृष्णा के लिए वज़ा ही नहीं हुआ, तो आदाद के इस इत्तिफ़ाक़ी इत्तिहाद-ओ-इश्तिराक को शिर्क कहना इल्मो दियानत से कोसों दूर है।

सानियन: ये इत्तेफ़ाकी इत्तिहाद भी सिर्फ रम्ज़ व इजमाल में है, मर्तबा तफ़सील में इन दोनों में कोई मुताबिक़त नहीं। बिस्मिल्लाह शरीफ़ का तफ़सीली रम्ज़ हम ऊपर लिख आए, हरी कृष्णा का अव्वलन तो कोई

इजमाली मुज़मर है ना तफ़सीली। अगर अहले तक़सीर की इस्तिलाह पर क़ियास कर के इस की रम्ज़ी तफ़सील निकाली जाये तो इस तरह होगी

5+200+10+20+200+300+50+1

तो बिस्मिल्लाह और हरी कृष्णा के रम्ज़ इजमाली गो मुत्तफ़िक़ हों तफ़सीली मुज़मर में कोई मुताबिक़त नहीं। बिस्मिल्लाह शरीफ़ का रम्ज़ी अदद दो से शुरू हो कर अदद चालीस पर ख़त्म होता है और हरी कृष्णा 5 से शुरू हो कर 1 पर ख़त्म होता है। हरी कृष्णा के मुफ़रिदात कुल 8 हैं, और बिसमिल्लाह शरीफ़ के 19 पस जिन दो चीज़ों के मर्तबा -ए- तफ़सील में ये इख़तिलाफ़ात हों, उनके इजमालों को हुक्म में किस तरह मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद क़रार दिया जा सकता है? पस उसे बिला किसी दलील के शिर्क क़रार देना वहाबीयत की बीमारी है।

सालिसन: तफ़सील के इस तज़ादो इख़तिलाफ़ के बाद इजमाल के इत्तिहाद की वजह से दोनों का हुक्म एक नहीं। बल्कि हर इजमाल का हुक्म उस की हक़ीक़त के इज़हार से होगा। देखिए पेशाब और ज़ाफ़रान का पानी दोनों का रंग एक (पीला होता है) लेकिन एक रंग को तबनी और दूसरे को ज़ाफ़रानी, एक नापाक ग़लीज़ बदबूदार, और मुज़िर दूसरा तय्यब -ओ- ख़ुशबूदार, और जिस्म-ओ-रूह को तक़वियत देने वाला होता है।

आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहीमहुल्लाह एक ऐसे ही सवाल के जवाब में फ़रमाते हैं:

सवाल: एक राफ़ज़ी ने कहा आयत-ए-करीमा

" اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ" (السجدة:٢٢)

के अदद 1202 हैं और यही अदद अबू बकर उमर उसमान के हैं।

जवाब: रवाफ़िज़ (अल्लाह की लानत हो उन पर) की बिनाए मज़हब ऐसे ही औहाम बेसरो पा पादर हवा पर है। हर आयते अज़ाब के अदद असमा ए अख़यार से मुताबिक़ कर सकते हैं, और हर आयत सवाब के

असमा-ए कुफ़्फ़ार से। जिस तरह इस आयते अज़ाब के आदाद उसने ख़ुलफ़ाए राशिदीन के अस्मा के मुताबिक़ बताए, यही अदद मुंदरजा ज़ैल अस्मा के हैं

यज़ीद, इबलीस, इबन-ए-ज़ियाद, शैतान, अत्ताक़, कलीनी, इबन बाबविया, क़मी, तूसी, हिली वग़ैरा

हज़रत अली कर्रमल्लाहू वजहहुल करीम के तीन साहिब ज़ादों के नाम अबू बकर व उमर व उसमान हैं। राफ़ज़ी ने आयत को इधर फेरा, कोई नासबी उधर फेर देगा। अल-ग़र्ज़ ऐसे इत्तिफ़ाक़ी इत्तिहादे आदादी से एक को दूसरे पर महमूल करना, या एक का हुक्म दूसरे पर लगाना सही नहीं।

अब सिर्फ एक सवाल का जवाब रह गया है। आख़िर अहल इस्लाम ने इजमाल-ओ-इख़तिसार का ये तरीक़ा क्यों इख़तियार किया, सुनिए क़ुरआन के बारे में हुक्म है कि

"ولا يمسه إلا المطهرون" (الواقعة: 79)

इस को पाक लोग ही छूएं

और तावीज़ या ख़ुतूत वग़ैरा पर असल आयात लिखने से ये एहतिराम बाक़ी नहीं रहेगा। पाक-ओ-नापाक हर कोई उसे छूता है, और भली और बुरी जगह वो पड़ता है, इस रम्ज़ी तहरीर से तबर्रुक-ओ-तासीर का फ़ायदा हासिल हो जाता है, और आदमी तौहीन और बे-हुरमती से बच भी जाता है कि इस के बारे में मज़हर और मुज़मर का हुक्म अलाहिदा अलाहिदा है। वल्लाहू तआला आलम

(देखिए फ़तावा बहर उल-उलूम, ज.5, स.351 ता 354, त. शब्बीर बिरादर्ज़ लाहौर, स.1431.ह)

नवां हवाला

फ़तावा मर्कज़ तर्बीयत इफ़्ता

हरे कृष्णा का अदद

ये कहना कि 786 बिस्मिल्लाह नहीं हरी कृष्णा का अदद है, सही है या नहीं मसला क्या फ़रमाते हैं मुफ़्तियाने दीन इस मसला में कि बिस्मिल्लाह के आदाद 786 होते हैं या नहीं। ज़ैद एक मस्जिद का इमाम है उस का कहना है कि बिस्मिल्लाह शरीफ़ के आदाद 786 हैं ही नहीं हाँ अलबत्ता "हरी कृष्णा" के ज़रुरीयात आदाद में क्या मेरी है?

अल-जवाब:

बेशक बिस्मिल्लाह के आदाद 786 होते हैं। ज़ैद इमाम का ये कहना कि बिस्मिल्लाह शरीफ़ के आदाद 786 हैं ही नहीं हाँ अलबत्ता हरी कृष्णा के ज़रुरीया आदाद हैं महज़ ग़लत और इस की जहालत है वो जमल के क़ायदा से बिलकुल वाक़िफ़ नहीं इसलिए कि जुमल का हिसाब अरबी हुरूफ़ के साथ ख़ास है। हिन्दी, संस्कृत में ना ही तरीक़ा राइज है और ना उनके हुरूफ़, हरूफ़-ए-तहज्जी के मुताबिक़ हैं। जुमल के हिसाब में जो गिनतीयाँ हैं वो 28 हैं और अरबी के हुरूफ़ भी 28 हैं और संस्कृत के हरूफ़-ए-तहज्जी 36 हैं जिसमें अलिफ़

सिरे से है ही नहीं। अलिफ़ को संस्कृत में हर्फ़ नहीं मानते मात्रा मानते हैं जब कि जुमल के हिसाब में पहला हर्फ़ अलिफ़ है जिसका अदद एक है

नीज़ जुमल के बहुत से हुरूफ़ संस्कृत में बिलकुल नहीं हैं मसलन:

حا، خا، ذ، ظا، ص، ض، طا، ع، غ، فا، ق

और बहुत से संस्कृत के हरूफ़-ए-तहज्जी जुमल के हिसाब में नहीं। मसला भ, प, ट, ठ, झ, च, छः, ध, ड, ढ, ग, घा, खा वग़ैरा अगर जुमल का हिसाब संस्कृत वग़ैरा में होता तो उनके हर हरूफ़-ए-तहज्जी का कोई

ना कोई अदद ज़रूर होता। हिन्दी संस्कृत के तमाम हरूफ़-ए-तहज्जी का अदद ना होना और अरबी के हर हर्फ़ तहज्जी का अदद होना इस बात पर वाज़ेह दलील है कि जुमल का हिसाब सिर्फ़ अरबी कलिमात और हुरूफ़ में मोतबर है। दीगर ज़बानों के कलिमात और हुरूफ़ में इस का एतबार नहीं। और इसलिए भी "786" हरी कृष्णा का अदद नहीं कि इस में एतबार इसी रस्म-उल-ख़त का होगा जिस ज़बान का वो कलिमा है। हरी कृष्णा संस्कृत ज़बान का लफ़्ज़ है और संस्कृत में उसे इस तरह लिखते हैं:

"हरी कृष्णा"

ह

को "ہ" मानिए

र

को "ر" मानिए

ई

की मात्रा को "ی" मानिए

कृ

को "ک اور ر" और णा में अ की मात्रा को अलिफ़ मानिए, बितर्तीब उनके अदद इस तरह होंगे 5, 200, 10, 20, 200 और 1, क्यों कि "ण" और "ष" के मुमासिल अबजद में कोई हर्फ़ नहीं ज़बरदस्ती "ष" को "श" और" ण" को "नून" मान कर 786 अदद निकालना जुमल के हिसाब से बिलकुल सही नहीं ना ये लफ़्ज़ उर्दू का और ना उर्दू रस्म-उल-ख़त का एतबार होगा जिस ज़बान का लफ़्ज़ है उसी ज़बान के रस्म-उल-ख़त का एतबार लाज़िम व ज़रूरी है। तो उपर किए गए हिसाब के मुताबिक़ "हरी कृष्णा" के अदद 786 नहीं बल्कि 436 हैं। और अगर उस को किसी तरह उर्दू रस्म-उल-ख़त में लाकर 786 अदद मान भी लें तो इस से ये कहाँ लाज़िम आता है कि महज़ इस वजह से 786 लिखना सही ना रहे इस में

क़तअन किसी सुनी सही उल-अक़ीदा मुस्लमान की नियत हरगिज़ नहीं होती कि ये हरी कृष्णा का अदद है

बल्कि लोग उसे बिस्मिल्लाह का अदद समझ कर इस नीयत से लिखते हैं और जिसकी जैसी नीयत होगी उस के लिए वैसा ही हुक्म होगा। हदीस शरीफ़ में है हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया: आमाल का मदार नीयतों पर है और हर शख़्स के लिए वो है जो उसने नीयत की। (बुख़ारी, ज.1, स.2)

कतबहू

मुहम्मद हारून रशीद क़ादरी

अल-जवाब अल सहीह मुहम्मद निज़ाम उद्दीन रिज़वी बरकाती

अल-जवाब अल सहीह मुहम्मद इबरार अहमद अमजदी बरकाती

(देखिए फ़तावा मर्कज़ तर्बीयत इफ़्ता, ज.2, स.656, त. फ़क़ीहे मिल्लत अकैडमी, स.1436ह.)

दसवाँ हवाला

फ़तावा बहरुल उलूम

सवाल:

एक तफ़सीली सवाल किया गया जिसका ख़ुलासा ये है कि क्या 786 के साथ 92 लिखा जा सकता है? और क्या ऐसा करना कोई फ़िर्का परस्ती है?

अल-जवाब:

बहरुल उ़लूम, अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाह लिखते हैं:

786 के नीचे 92 लिखने का रिवाज ज़रूर है इस के इफ़्तिताह की तारीख़ बताना मुश्किल है मगर शरअन कोई हर्ज नहीं, जब इस्लाम के बुनियादी कलिमे में अल्लाह के इस्म मुबारक के साथ नबी करीम صَلَّى اللهُ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ का नामे मुबारक है तो बिस्मिल्लाह शरीफ़ के बाद इस्मे रिसालत लिखना क्यों मना होगा, उस को फ़िर्कापरस्ती से ताबीर करना या इस वजह से हो कि वो शख़्स ख़ुद गुमराह हो कि इस को नामे मुहम्मद صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ से चिड़ होती है या वो शख़्स ग़ाफ़िल है और किसी ने इस को वरग़ला दिया हो।

(देखिए फ़तावा बहरुल उलूम, ज.1, स.365, त.शब्बीर बिरादर्ज़ लाहौर, स.1431ह.)

ग्यारहवां हवाला

तनवीरुल फ़तावा

सवाल:तनवीरुल फ़तावा में सवाल ये है:

उलमाए दीन क्या फ़रमाते हैं कि बिस्मिल्लाह के बजाए 786 लिखना क्या हिंदूओं की रस्म है या उस का लिखना जायज़ है?

अल-जवाब:

सूरत मसऊला में बिस्मिल्लाह के बजाय अपनी तहरीरात में 786 लिखना जायज़ है क्योंकि ये असल में अल्लाह-तआला के अस्मा-ए-मुबारका की बे-अदबी से बचने के लिए वज़ा किया गया है। मुफ़्ती मुहम्मद वक़ार उद्दीन रिज़वी लिखते हैं

अहादीस में फ़रमाया जो काम बिस्मिल्लाह और अल्हमदूलिल्लाह से शुरू ना किया जाये वो ना-मुकम्मल रहता है और ख़ैर-ओ-बरकत से ख़ाली होता है इस हदीस पर अमल करने के लिए हर जायज़ काम को बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करना चाहिए उनका लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन लिखना भी बाइसे बरकत है चूँकि आम तौर पर काग़ज़ात को एहतियात से नहीं रखा जाता तो इस पर बिस्मिल्लाह लिखे होने की सूरत में इस की बे-अदबी है इस लिए लोगों ने आदाद लिखना शुरू कर दिए।

(वक़ारुल फ़तावा, स.442, ज.3)

मुफ़्ती यूसुफ़ लुधियानवी साहिब (देवबंदी) लिखते हैं:

786 बिस्मिल्लाह शरीफ़ के अदद में बुज़ुर्गों से इस के लिखने का मामूल चला आ रहा है ग़ालिबान इस को रिवाज इस लिए हुआ कि ख़ुतूत आम तौर पर फाड़ कर फेंक देते हैं जिससे बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बे-अदबी होती है बे-अदबी से बचाने के लिए ग़ालिबान बुज़ुर्गों ने बिस्मिल्लाह के आदाद लिखने शुरू किए उस को हिंदूओं ग़ैर मुस्लिम की तरफ़ मंसूब करना तो ग़लत है अलबत्ता अगर बे-अदबी का अंदेशा ना हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ़ ही का लिखना बेहतर है।

(आपके मसाइल और उन का हल, स348, ज8)

बारहवाँ हवाला
एक देवबंदी मुफ़्ती का फ़तवा

सवाल:

बहुत से मुस्लमान ख़त, लिफ़ाफ़ा या काग़ज़ पर पहले 786/92 लिखते हैं, इस की क्या वजह है? 786 का क्या मतलब होता है? 92 का मतलब क्या होता है?

अल-जवाब:

बिस्मिल्लाह में जो अरबी हुरूफ़ हैं उनके अबजद के एतबार से कुछ अदद मुतय्यन किए गए हैं, मसलन अलिफ़ का एक, बा के दो, जीम के तीन और दाल के चार वग़ैरा। इस हिसाब से बिस्मिल्लाह के हुरूफ़ के अदद की कल मजमूई तादाद 786 होती है।

मुहम्मद का हिसाब हसबे ज़ेल है:

मीम के चालीस, हा के आठ, मीम के चालीस, और दाल के चार कुल जमा 92 हुआ।

अब रही ये बात कि काग़ज़ या लिफ़ाफ़ा पर पूरी बिस्मिल्लाह लिखी जाये तो इस की बे-अदबी होने और यहां वहां फेंक दिए जाने का डर है, इस लिए उस के अदद लिख दिए जाते हैं।

और बाज़ लोग हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ से मुहब्बत की वजह से आपके नाम का भी अदद लिख देते हैं। इस लिए 92 का अदद लिखा जाता है। फ़क़त वल्लाहू तआला आलम

(आपके मसाइल और उन का हल, स.348)

तेरहवां हवाला
देवबंदी मुफ़्ती का दूसरा फ़तवा

सवाल

786 के नीचे 92 लिखा जाये तो कैसा है? इस लिए कि सात सौ छयासी बिस्मिल्लाह का अदद है और 92 हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ का अदद है, मज़कूरा तरीक़े पर क़ुरआन शरीफ़ की आयतों को लिखने से पहले "92-786" लिखा जाये तो शरीयत की रू से दरुस्त है या नहीं?

अल जवाब:

हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होनी चाहिए, यही शरीयत का हुक्म है चाहे ज़बानी पढ़ कर शुरू करे या लिख कर, इसी वजह से काग़ज़ पर अल्लाह का नाम लिख कर शुरू किया जाता है। क़ुरआन शरीफ़ में जहां सुलेमान अलैहिस-सलाम का ख़त मलिका सबा बिल्क़ीस को लिखने का तज़किरा है इस में भी बिस्मिल्लाह ही से शुरू किया गया है, लेकिन हमारे यहां ऐसे ख़ुतूत की बे-अदबी होती है और अदब को मलहूज़ नहीं रखा जाता है, इस लिए "अबजद" के क़ाएदे के मुताबिक़ बिस्मिल्लाह का अद यानी 786 लिख देते हैं ताकि बिस्मिल्लाह के ज़रीये लिखे जाने

का सबूत हो जाये, लेकिन हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ के पाक नाम के साथ इब्तिदा करने का कोई सुबूत नहीं है, इस लय "मुहम्मद" नाम का अदद 92 लिखने का हुक्म भी नहीं है बल्कि ना लिखना ही बेहतर है।
(फतावी दीनीय्या, मुफ़्ती इस्माईल कछोलवी देवबंदी, ज.5, स.298)

देवबंदी मुफ़्ती का त्आकुब

इस फ़तवे में देवबंदी मुफ़्ती का 786 के साथ 92 लिखने के मुताल्लिक़ ये लिखना कि "ना लिखना ही बेहतर है" इनके दिलों की ख़राबी को ज़ाहिर करता है। ये ऐसी ज़हनीयत के लोग हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरह का इज़ाफ़ा कर लेते हैं और इस के जवाज़ में दलील पर दलील पेश करते हैं लेकिन जब बात नबी करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ से मुहब्बत की हो, उनकी ताज़ीम की हो तो उनका तर्ज़ बदल जाता है और दलायल भी नहीं मिलते। अब देखा जाये तो बिस्मिल्लाह के आदाद के साथ नामे मुहम्मद के आदाद लिखने में कोई मसला नहीं है बल्कि लिख देना बेहतर है मगर इस देवबंदी मुफ़्ती ने लिख मारा कि ना लिखना बेहतर है क्यों कि इस का हुक्म नहीं है। ये ऐसे सैकड़ों काम करते हैं और दूसरों को भी दावत देते हैं कि जिनको करने का कहीं सराहतन हुक्म नहीं मिलता लेकिन चूँकि वो अपने मतलब का काम होता है तो काबिले क़बूल है और अगर बात इन मुआमलात की आ जाये तो बेहतरी कहीं और नज़र आने लगती है। अल्लाह ताला हमें इनके शर से महफ़ूज़ रखे।

चौधवां हवाला

दारुल इफ़ता देवबंद का फ़तवा

दार दारुल इफ़ता देवबंद की वेबसाइट पर दर्ज ज़ेल फ़तवा मौजूद है:

फ़तवा 802=691/ب

सुन्नत तरीक़ा ये है कि पूरी बिस्मिल्लाह लिखी जाए, लेकिन किसी मस्लिहत के पेशे नज़र 786 का अदद भी लिखा जा सकता है।

वल्लाहु तआला आलम

दारुल इफ़ता देवबंद

(वेबसाइट पर देखें)

इसी तरह देवबंदी मकतबा फ़िक्र के कई उलमा ने इस को लिखना दरुस्त क़रार दिया है और अगर आप नेट पर तलाश करेंगे तो कई वेबसाईटस पर ऐसे दर्जनों फतावा मौजूद हैं, हम इन्ही पर इकतिफ़ा करते हुए अब खुलासे की तरफ़ आते हैं।

ख़ुलासा

अहल सुन्नत के नज़दीक 786 और 92 वग़ैरा लिखना जाइज़ बल्कि एक मुस्तहसन अमल है और इस का सुबूत बुज़ुर्गाने दी की तहरीरों में भी कसरत से मिलता है। अहले सुन्नत में किसी को इस के लिखने पर एतराज़ नहीं है। वहाबियों में जो "देवबंदी" हैं वो भी इस पर एतराज़ नहीं करते बल्कि उनके यहां भी इस का लिखना जाइज़ो दुरुस्त है जैसा कि हमने उन्ही की किताबों से सुबूत पेश किये। अब वहाबीयत की एक शाख़ जिसे "ग़ैर मुक़ल्लिद और "अहले हदीस" के नाम से जाना जाता है, ये इस पर बेजा के एतराज़ात करते हैं। ये लोग इस तरह आदाद लिखने को ना सिर्फ

बिद्अत कहते हैं बल्कि इसे हिंदूओं की तरफ़ मंसूब करते हैं और 786 को हरी कृष्णा के आदाद बताते हैं जिसका मुकम्मल रद्द इस रिसाले में देखा जा सकता है। इस के इलावा भी जो एतराज़ात किए जाते हैं उनका जवाब हम यहां नक़ल कर चुके हैं जिन से वाज़ेह हो जाता है कि इस तरह आदाद लिखना बिला-शुबा जाइज़ है और इसे बिद्अत कहना या हिंदूओं की तरफ़ मंसूब करना शिद्दत पसंदी और जहालत है।

अल्लाह ताला हमें ऐसे शरीर लोगों से महफ़ूज़ रखे कि जिन्होंने दीन में अपनी आरा को दाख़िल किया और मुस्लमानों के नज़दीक जो काम अच्छा है उसे ज़बरदस्ती शिर्को बिद्अत की तरफ़ ले जाने की नापाक सई की।

रब्बे करीम इस रिसाले को अपनी बारगाह में दर्जा-ए-मक़बूलियत अता फ़रमाए।

अ़ब्दे मुस्तफ़ा
मुहम्मद साबिर क़ादरी

हमारी किताबें हिंदी में

(1) बहारे तहरीर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल (अब तक चौदह हिस्से)
(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा?
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(4) इश्क़े मजाज़ी (मुंतख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(6) शबे मेराज गौसे पाक - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक़िया - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(10) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु) का इस्तिमाल किया जा सकता है।
(11) चंद वाक़ियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(12) बिन्ते ह़व्वा (एक संजीदा तहरीर) - कनीज़े अख़्तर
(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए पर तहक़ीक़
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(15) औरत का जनाज़ा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा
(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1)
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(18) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा?
- अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही
(20) इस्लामी तअ़लीम (हिस्सा अव्वल)
- अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह
ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है।

(21) मुहर्रम में निकाह - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(22) रिवायतों की तहकी़क़ (पहला हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(23) रिवायतों की तहकी़क़ (दूसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(25) एक निकाह ऐसा भी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(26) काफ़िर से सूद - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(27) मैं खान तू अंसारी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(28) रिवायतों की तहकी़क़ (तीसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(29) जुर्माना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से
- अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(35) ज़न और यक़ीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(38) क़ुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
(40) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान
(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी
(42) जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ
- मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी
(43) तहक़ीक़े इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(45) मंसूर हल्लाज - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(46) फ़र्ज़ी क़ब्रें - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(47) इमाम अबू यूसुफ का दिफा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(48) इमाम क़ुरैशी होगा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(49) हिन्दुस्तान दारुल ह़रब या दरुल इस्लाम? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(50) वबा से फ़रार - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(51) रज़ा या रिज़ा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी

(52) सलासिल में बंटे हुए सुन्नी कब एक होंगे? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी
(53) 786 और 92 की हक़ीक़त - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर क़ादरी

AMO

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

enikah

niiii

BOOKS

PS
graphics

DONATE

ABDE MUSTAFA OFFICIAL

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through electronic and print media. We're working in various departments.

(1) Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.
amo.news/blog

(2) Sabiya Virtual Publication
This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple languages. Have a look on our library **amo.news/books**

(3) E Nikah Matrimonial Service
E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you.
www.enikah.in

(4) E Nikah Again Service
E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we want to promote this culture in our Muslim society.

(5) Roman Books
Roman Books is our department for publishing Islamic literature in Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on **amo.news**
For futher inquiry: info@abdemustafa.in

SCAN HERE

PhonePe G Pay Paytm
9102520764

BANK DETAILS
Account Details :
Airtel Payments Bank
Account No.: 9102520764
(Sabir Ansari)
IFSC Code : AIRP0000001

or open this link | amo.news/donate

786 और 92 की हक़ीक़त

A

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through electronic and print media. We're working in various departments.

Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

blog.abdemustafa.com

Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple languages. Have a look on our digital library **books.abdemustafa.com**

E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you.**www.enikah.in**

E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we want to promote this culture in our Muslim society.

Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on **www.abdemustafa.com**

For futher inquiry: info@abdemustafa.com

M O

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

ISBN (N/A)